



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072026-274328
CG-DL-E-09072026-274328

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3567]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2026/आषाढ 18, 1948

No. 3567]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

का.आ. 3729(अ).— जबकि, केंद्रीय सरकार ने लोकहित में और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 को (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा जाएगा) का.आ. 5438(अ) के तहत दिनांक 24 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया है।

और जबकि, वैश्विक स्तर पर व्याप्त संकट को देखते हुए, केंद्रीय सरकार ने ब्यूरो के परामर्श से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का संज्ञान लिया है और आश्वस्त है कि एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उक्त आदेश के प्रवर्तन को अस्थायी रूप से निलंबित करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 2 में, परंतुक में, “10 जुलाई, 2026” के अंक, अक्षरों तथा शब्दों के स्थान पर “31 जुलाई, 2026” अंक, अक्षरों तथा शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.-सीपीसी (भाग 2)]

डॉ. जी. वेंकटेश, संयुक्त सचिव

नोट: एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 5438(अ) के तहत तारीख 24 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था और इसका अंतिम बार संशोधन दिनांक 10 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1854(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department Of Chemicals And Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2026

S.O. 3729(E).— Whereas, the Central Government has notified the n-Butyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021 vide S.O. 5438 (E), dated 24th December, 2021 (hereinafter to referred as the said Order) in the public interest under and the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

And whereas, in view of the exigencies prevailing globally, the Central Government, in consultation with Bureau, has taken cognizance of the supply chain disruption and is satisfied that to ensure availability of the n-Butyl Acrylate, it is necessary and expedient to suspend the operation of the said Order temporarily;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act 2016, (11 of 2016), and being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, the Central Government after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following amendment to the said Order, namely:-

In the n-Butyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 2, in the proviso, for the figures, letters and word “10th July, 2026”, the figures, letters and word “31st July, 2026” shall be substituted.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC (Part 2)]

DR. G. VENKATESH, Jt. Secy.

Note: The n-Butyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide notification number S.O. 5438(E), dated the 24th December, 2021, and last amended vide notification number S.O 1854(E), dated the 10th April, 2026.